	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व त अहकाम जो हुक्म तामील जारी हुये
	वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थिया/प्रति0 सं0 2 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया है कि वादिया ने इस वाद में जिन आराजीयात के बावत वाद प्रस्तुत किया है, उन्ही आराजीयात के बावत समान तथ्यों तथा समान पक्षकारों के विरूद्ध वादिया ने पूर्व में एक वाद संख्या 5/89 उनवानी भगवानदेई बनात चंदन सिंह न्यायालय सहायक कलक्टर धौलपुर में प्रस्तुत किया था जो बाद में स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में पहुंचा। वादिया का उक्त वाद न्यायालय द्वारा दिनांक 21.4.2000 को आदेश 17 नियम 3 जा0दी0 के अधीन खारिज फरमा दिया गया। उक्त वाद के खारिज होने के उपरांत प्रस्तुत वाद विधि द्वारा बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है। प्रार्थिया के द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा इसी स्तर पर खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। वदिया की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाव पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादिया ने प्रार्थना पत्र बेवजर परेशान करने व वाद को देरीना करने के उद्देश्य से पेश किया है जो काविल निरस्ती है। पूर्व के दावा क प्रार्थीया/वादिया की जानकारी में नहीं है और दावा प्रस्तुत किया भी है तो उससे प्रस्तुत वाद पर कोई विपिरीत प्रभाव नहीं पडता है क्योंकि पूर्व में निर्णित विचाराधीन वाद मैरिट पर तय नहीं हुआ है। अतः प्रस्तुत वाद पर रैस्ज्यूडिकेटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र निराधान होने के कारण काविल खारिजी है। वादिया ने प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रतिवादी की ओर से पेश की गयी प्रमाणित प्रतिलिपि दावा उनवानी भगवागनदेवी बनाम चन्दन सिंह वगै0 निर्णय दिनांक 21.4.2000, प्रमाणित प्रतिलिपि आदेशकाऐं प्र0सं0 5/89 उनवानी भगवानदेई बनाम चन्दनसिंह से यह स्पष्ट है कि वर्तमान वाद की आराजी एवं पूर्व में पेश वाद में वादिया, वाद की आराजी व अनुतोष समान हैं। प्रमाणित प्रति आदेशिका के अनुसार पूर्व का दावा दिनांक 21.4.2000 को तलवी के अभाव में आदेश 17 नियम 3 सीपीसी के अन्तर्गत खारिज किया गया है। वादिया को उक्त वाद में ही अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए थी, दूसरा वाद पेश नहीं करना चाहिए। वादिया प्रथम वाद में हुए आदेशों से पाबंद होने के कारण द्वितीय वाद विधि से बाधित है। प्रार्थना पत्र प्रार्थिया/प्रति0 सं0 2 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर दावा वादिया इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्डाधिकारी धौलपुर (राज.)	